International Research Journal ISSN-0975-3486 RNI : RAJBIL 01488 VOL. I * ISSUE—3

शोध पत्र- समाजशास्त्र

Dec.-09—Jan.-2010

पुनर्वासित शरणार्थियों एवं स्थानीय समुदायों में परस्पर सामाजिक-सांस्कृतिक अंत:करण

[म.प्र. के बैतूल जिले में पूर्व पाकिस्तानी/ बांग्लादेशी शरणार्थियों के विशेष संदर्भ]

* दीपक सरकार

*पीएच.डी शोधार्थी स्नातकोत्तर समाजशास्त्र अध्ययन विभाग एवं अनुसंधान केन्द्र, शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबादं

भारत में शरणार्थियों का विकास कैसे हुआ ? यह समझकर ही इनकी समस्याओं को गहराई से समझा जा सकता है। भारत में इनकी समस्याओं को समझने के लिये, इनकी सामाजिक संरचना को समझना भी आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में पूर्व पाकिस्तान/बांग्लादेश के बरिसाल, फरिदपुर, जसोर, कुमिल्ला, चितागाम, खुलना जिले से आऐ, सभी बंगाली शरणार्थियों का सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन तथा बनावट, बोलचाल वर्तमान स्थानीय समुदायो से बिल्कुल भिन्न थी।

गरीबी, अकाल, महामारी, गृहयुद्ध, बिगड़ते परिस्थितिकीय संतुलन के चलते पूरे विश्व में (बांग्लादेशी/पूर्व पाकिस्तानी) शरणार्थियों की समस्या एवं संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में शरणार्थी समस्या के पीछे राज्यों के आपसी संघर्ष, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करों नीति, राजनैतिक वोट बैंक तथा हिन्दू–मुसलमानों के साम्प्रदायिक दंगों, विभिन्न तरह के संघर्षो का लम्बा इतिहास है।

विश्व स्तर पर शरणार्थी कौन है? या शरणार्थियों की स्थिति क्या है? शरणार्थियों के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की धारणाऐं है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार –''शरणार्थी कौन है?'' सर्वप्रथम 1969 में ''अफ्रिका यूनिटी कन्वेशन'' के संगठन में शरणार्थियों की परिभाषा तय की गई। इसके अनुसार –''हर व्यक्ति जो अपने मूल राष्ट्र में बाह्य आधिपत्य, विदेशी शासन या सार्वजनिक शांति बुरी तरह भंग हो जाने की घटनाओं के कारण अपने देश से बाहर शरण ले वह शरणार्थी है।''

उपरोक्त सभी नारकीय घटनाओं के कारण बांग्लादेश से 1 करोड़ बंगालियों को भारत सरकार ने शरणार्थी के रूप में शरण दिया। सन् 1964 में जब भारत में बंगालियों को विभिन्न प्रांतों में शरण दिया गया तब पूर्व पाकिस्तान में इनका प्रतिशत 18.5%थी। सन् 1971 में बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का हिन्दु सिर्फ 13.5%थी। जबकि मूल रूप से पूर्व पाकिस्तान में बंगालियों का 1901 में 33% थी। जनगणना सांख्यिकी के अनुसार इनकी संख्या 1901 की अपेक्षा 1971 में बढ़नी थी पर धीरे धीरे कम हो गई। 1991 के जनगणना के अनुसार 1960 से 1991 तक हर दिन 475 हिन्दू और सालाना 1 लाख 75 हजार हिन्दू हमेशा के लिए देश छोड़ने को विवश हुए। अत्याचारों का मुख्य उद्देश्य बांग्लाभाषा के अस्तित्व को अस्विकार करके उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाना था।

बंगालियो का उदय– बंगाली का शाब्दिक अर्थ बैंग्ला या वेंग्ला है। इस शब्द की उत्पत्ति वेंगा शब्द से हुई है। बेंग्ला को बांग्ला के रूप में मुस्लिम शासको द्वारा बारहवी सदी और इसके बाद अपनाया गया। अब्दुल फैजल के अनुसार बांग्ला का वास्तविक नाम वैंग है। मुस्लिम शासक 10 गज उचीं जमीन पर लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए रहने दिये, जिसे अल कहा गया।

बंगाल के मूल निवासियों द्वारा बंगाली भाषा उपयोग की जाती है, जो कि बंगाल से पलायन कर भारत के विभिन्न राज्यों में बस गये। बंगाली समुदाय, किसी एक नस्ल के लोगों का समुह न होते हुए, अलग–अलग नस्ल के लोगों का एक समुह है। प्राचीन काल में लोगों का समुह भारत के विभिन्न भागों से आऐ और बंगाल में आकर बस गये। इन पलायित लोगों ने न केवल बंगाली भाषा को अपनाने का प्रयास किया अपितु बंगाल के मूल निवासियों के साधारण नियमों और संस्कृतियों के साथ उनकी मूल विचार धारा में धीरे–धीरे परस्पर सम्मिलित होने लगे। बंगाली शब्द, बंगाली समुदाय को एक गोत्र या सजातिय होना प्रदर्शित नहीं करती

अपितु यह विभिन्न जातियों को प्रदर्शित करता है– जैसे ब्राहमण, कायस्थ, वैश्य, नमोशुद्र, गंधावनिक, शैडोप और इत्यादि शामिल है।

सामाजिक संगठनः–सामाजिक संगठन, कुछ विशेष प्रकार के समूहों के बीच अंतर्संबंधों से बनता है। यह वह समूह होते है जिनमे सामाजिक जीवन संभव होता है। शोध कार्य के दौरान बंगाली शरणार्थियों में भी सामाजिक संगठन की सुदृढ़ता तथा रचनात्मक संबंध पाये गये है। बंगालियों की जातियों एवं उप–जातियों का धर्म हिन्दु है।

जाति :– आध्यानिक ग्राम कई जातियों में विभक्त पाया गया– जो नमोशुद्र, पोण्डो, क्षत्रिय, कुम्हार, कायस्त है। इसके अतिरिक्त अन्य जातियां– ढीमर, हाड़ी नोमो और मूची, बंगाल भर में नीची जातियॉ मानी जाती है।

पारिवारिक व्यवस्था :– विवाहित बंगाली परिवारों में पित्र सत्तात्मक, एक पत्नि परिवारों का उल्लेख हैं। ये परिवार एकल तथा संयुक्त होते है। बंगाली समाज के संगठन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई परिवार है।

स्वजन सबंधं व्यवस्था :– बंगाली समाज में स्वजन सबंध व्यवस्था दो भागों में विभाजित है :– (अ) रक्त संबंधी (ब) विवाह संबंधी। विवाह संबंधी संबंधों को दो भागों में बाटा गया है – **(i)** विमुखता संबंध :– विमुखता सबंधों में, दोनो संबंधी एक दूसरे के साथ हर संभव सामाजिक क्रिया को टालते है। बंगाली समाज में पर्दा प्रथा का चलन अब कम हो रहा, अब आंख का पर्दा पाया जाता है, इसके अंतर्गत संबंधी परस्पर आंख मिलाकर बात नहीं करते है। एक दूसरे को आवाज देकर बुलाने की प्रथा का प्रचलन ऊंचीं आय या स्थानीय समुदायो के संपर्क वाले परिवारों में देखा जा सकता है। ये सम्बंधी प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करते है तथा साथ–साथ अकेले कमरे में नहीं रह सकते है, ऐसा किया जाना सामाजिक रूप से दण्डनीय एवं सामाजिक बहिस्कार माना जाता हैं। निम्न सबंधं विमुखता के अन्तर्गत आते हैं :– देवर –बहू, बहू–ससुर, बहू– जेंठ (पति का बडा भाई) दामाद–सास। इनके विवाह को समाज पूर्णतः अस्वीकृत करता है। **(ii)** परिहास संबंध :– परिहास संबंधों वाले विपरीत लिंगी सबंधियों के बीच विवाह को समाज स्वीकृति प्रदान करता हैं। ये संबंध समान लिंगी तथा विपरीत लिंगी सदस्यों में पाये जाते है तथा इस प्रकार के संबंध अक्सर प्रेम विवाह या आपत्तिजनक स्थितियों में पाया जाता है। इस प्रकार के संबंधों में बंगाली समाज में छेड–छाड़, खिल्ली उठाना, गाली देना, मौखिक वार्तालाप आदि सम्मिलित हैं। इन सबंधियों में परिहास सबंधं पाये जाते है– जीजा–साली, भाभी–देवर, नाती–दादी, नातिन–दादा, समधी–समधन, बडे भाई की साली तथा जीजा की बहन से भी व्यक्ति के परिहास संबंध पाये जाते है।

विश्लेषणः–बंगालियों में विवाह के संबंध – अन्य सम्प्रदायों से विवाह संबंध 15%, स्थानीय समुदायों में 12.5%, अपने सम्प्रदायों में विवाह करने वाले 10%, प्रेम विवाह 20%, सामाजिक विवाह 30%, हैं, इन सबमें महत्वपूर्ण रिस्तेदारों में विवाह 12.5% पाया गया है।

अभिवादन के नियम :– बंगाली समुदाय में अभिवादन में बाहे पकड़कर तीन बार गले मिलते है। घर पर रिस्तेदार आने पर घर के छोटे पुत्र–पुत्रियॉ या नई बहू के द्वारा पानी के भरे हुए लोटे को जमीन पर सामने रखकर प्रणाम करना अधिक सम्मानता एवं सज्जनों का परिचायक होता है। पुत्र पिता के पैर छूता है। पिता पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशिर्वाद देता हैं। छोटे भाई, बड़े भाई के पैर छूकर भी आशिर्वाद लेता है। पुत्र–पुत्री के द्वारा, माता–चाचा, दादा–दादी सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशिर्वाद लेने का चलन आज भी बंगाली समाज में प्रचलित है। औरते एक–दूसरे के गले मिलती है तथा चुम्बन लेती है। गावं के छोटे–बड़े बुजुर्गों तथा छोटे–बड़ों के बीच आपस में मिलने पर ''कैसे हो'', ''घर पर सभी कैसे है'', ''घर पर सभी कुशल तो है'', आलाप कर प्रत्युत्तर करते है।

विश्लेषण :– इस प्रकार के नियम खास मौको जैसे– विवाह समारोह, बड़े पूजा–पाठ, त्यौहारों, उत्साह–वर्धन के कार्यक्रमों में देखा जा सकता। आम तौर पर यह उदाहरण समाज में दृष्टिगत होते है।

बंगालियों की परिवार व्यवस्था :– बंगाली समाज के परिवार को मुख्य दो स्वरूपों में देखा जा सकता है –

मूल परिवार :– इसमें माता–पिता और उनकी अविवाहित संताने रहते है। प्राथमिक या मूल परिवारो का यह सवसे छोटा और आधारभूत रूप है। इसमें गोद लिये हुये अविवाहित बच्चे भी शामिल है।

संयुक्त परिवार :– वर्तमान समय में परिस्थतिकीय कारणो से बंगाली शरणार्थीयों में अन्य स्थानिय समुदायों की तरह संयुक्त परिवार की प्रथा का चलन कम होता जा रहा है तथा वर्तमान युग में युवा पीढ़ी भी इसके पक्ष में नहीं है। परम्परा के अनुसार कुछ ही परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली को स्वीकार कर रहे है।

विश्लेषण :– सामाजिक संगठन का आधारभूत घटक परिवार व्यवस्था हैं, जो बंगालियों ने किसी न किसी रूप में शरणार्थी होने से खो दिया हैं। शरणार्थियों के पूर्वजो ने अपने

भाई, बहन, पिता, माता व अन्य रिस्तेदार /संबंधियो को बांग्लादेश में छोड़कर, शरणार्थी के रूप में शरण लिये है। बंगाली परिवार पित्रसत्तात्मक एवं पित्रवंशीय होता हैं जिसमें अधिकांश एक विवाही हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार कारण – 1. शरणार्थीयों के रूप में अलग–अलग विस्थापित किया जाना (18 वर्ष से ऊपर हो, विवाह हो गया हो तथा माता–पिता के साथ शरण लिया हो)। 2. मूल कारण विवाह उपरांत नई विवाहित स्त्रियों से परिवार के अन्य सदस्यो का आपसी कलह का होना। 3. स्थानीय समुदायों की संस्कृतियों का प्रभाव। अधिकांशतः अध्ययन क्षेत्र में परम्परागत आदिवासियो का रहना है जो अलग–अलग घर या बस्ति बनाकर रहना पसंद करते है। 4. रोजगार, व्यवसाय, भूमि के सीमित अवसर या आमदनी के कारण आपसी कलह।

बंगालियों में सामाजिक नियम एवं स्थानीय समुदायों से साहचर्य :–प्रत्येक समाज चाहे वह जनजातिय हो या आधुनिक हो, कुछ सामाजिक नियम होते है। जिनका पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य होता है। व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता समाज नहीं दे क्या कारण है? अध्ययनो से स्पष्ट होता है कि जहा भी व्यक्ति ने समाज के नियमो के विरूद्व व्यवहार किया है, समाज का अस्तित्व ही समाप्त हुआ हैं।

गोत्र सम्वंधी नियम :– बंगाली शब्द, बंगाली समुदाय को एक गोत्र या सजातिय होना प्रदर्शित नहीं करता अपितु यह विभिन्न जातियों को प्रदर्शित करता है। जैसे – ब्राहमण, कायस्थ, वैश्य, नमोशुद्र, गंधावनिक, शैडोप इत्यादि शामिल है। इनके प्रत्येक जाति स्तर पर सगोत्रिय विवाह होता है।

बंगालियों में गोत्र का अर्थ :– एक समूह जो ऋषि–मुनियों के वंशज रहे हैं, उनको एक गोत्र का नाम दिया गया। ऋषि मुनि के नाम से जैसे– काश्यब मुनी के नाम से काश्यब गोत्र। इसी प्रकार अध्ययन में चार गोत्र पाये गये– काश्यब गोत्र, आलेम्मण, शांदिल्ला तथा मधुगुल्ला। बंगालियों में शरणार्थी होने के पूर्व में एक ही गोत्र में विवाह का नियम था।अध्ययन साहित्य से गोत्र का नियम यह कहता है कि समगोत्र विवाह नहीं होना चाहिये, अर्थात् पति–पत्नि एक रक्त के नहीं हो सकते। बंगालियों में गोत्र एक रक्त/वंश से नहीं वरन एक मुनि (ऋषि) के वंश से माना जाता हैं, अर्थात एक गोत्र में अनेक वंश हो सकते है। इस लिये बंगाली समाज में समगोत्र विवाह को समाज द्वारा मान्य किया गया।

विश्लेषण :– बंगाली शरणार्थी "पूनर्वास क्षेत्र चोपना" कुल 32 ग्रामों में पूनर्वासित है जिसके अंतर्गत यहाँ पर कम जनसंख्या तथा सीमित गोत्र के होने के कारण अंर्तगोत्र में विवाह का चलन लगभग एक दसक से वर्षों में सामने आने के कारण नई उपसंस्कृति का निर्माण हो रहा हैं। परम्परागत रूप से बंगालियों में गोत्र का नियम समगोत्र विवाह का प्रचलन था क्योंकि समगोत्र के आधार पर ये भाई–बहिन नहीं होते। अतः इनमें विवाह सम्वंध हो सकता है।

सम्बोधन सबंधी नियम :– पूर्व पाकिस्तान/बांग्लादेश के चारों जिलों से आये अलग– अलग जाति के लोगों ने पुनर्वासित क्षेत्र में जाति और आर्थिक स्तर के भेदभाव को भुलाकर लोगों से कुटुंबिक नातों के आधार पर सम्पर्क रखा हैं। आयु (उम्र) का बहुत ध्यान रखा जाता है और बच्चों को खास तौर पर यह बातें सिखाई जाती हैं।

छुआछूत संबंधी नियम :– बंगालियों में छूआछूत सबंधी नियमों का पालन अधिक किया जाता था जो इनके सामाजिक नियमो में किसी न किसी रूप में शामिल थी। इन्होंने पूर्व पास्कितान/बांग्लादेश में मुसलमानों से (पूर्वी पाकिस्तान) में तथा भारत में स्थानीय समुदायों सामान्य रूप से आदिवासी गोंड, कोरकू, के साथ सामाजिक रूप से दूरी बनाये रखते रहे हैं।

संपत्ति सबंधी नियम :– बंगालियों में उत्तराधिकार के नियम पित्रवंशीय व पित्रसत्तात्मक है अतः परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति (चल एवं अचल) पर परिवार के पुरूष मुखिया का अधिकार होता है। विवाहित स्त्री द्वारा भी परिवार की सम्पत्ति की देखरेख की जाती है, पर वास्तविक संचालन करने का अधिकार सिर्फ पुरूष पर होता है।

भोजन सबंधी नियम :– बंगालियों में नियमानुसार पहले पुरूष भोजन करते है फिर स्त्रियों को भोजन करने का चलन है। नई दुल्हन को अपने पति के जूठे भोजन करने को नियम आज भी विवश करता है और अन्य पुरूषों का जूठा भोजन करना निषेध है। छोटा भाई बड़े भाई का, बडा भाई छोटे भाई बहनों का झूठा भोजन कर सकता है।

विश्लेषण :– शोध कार्य के दौरान स्थानीय समुदायों से सामाजिक अंतःकरण में श्राद्ध अंत्येष्ठी के कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों के द्वारा भोजन के लिये बंगालियों को बुलाया जाना 27%, इस प्रकार के कार्यक्रमों में पान–बीड़ी के लिये बुलाने वाले 15%, तथा किसी अन्य कार्यक्रमों में बुलाने वाले सिर्फ 17.5%, । श्राद्ध एवं अंत्येष्ठी के कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों के द्वारा 40%, नहीं बुलाया जाना, जिनमें बांग्लादेश में 5%, भारत में आने के बाद 10%, तथा हमेशा ऐसी घटना में स्थानीय समुदाय द्वारा 25%, ज्ञात हुआ है।

7. ब्राह्मणों के प्रति मान्यता के कारणों का विवरण :–ब्राह्मणों के प्रति बंगाली समाज में श्रद्वा, मान्यता,

भक्ति की कमी को देखना आम बात है जिसके कुछ कारणों को स्पष्ट किया गया है :—स्थानीय समुदायों के सम्पर्क में आने से, स्थानीय संस्कृति में ब्रह्मामणों की मान्यताओं का अभाव, आधुनिक एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, पूर्वजों (मूल पूर्वी पाकिस्तानी) बुजुर्गों का न होना, शरणार्थी होने के कारण वर्तमान निवास स्थान में धार्मिक ग्रंथों का अभाव, ब्राह्ममण अपने वंशानुगत कार्यो को व्यापार के रूप में उपयोग करना, ब्रह्मामणों के द्वारा मांस, मदिरा, मछली, आदि वर्जित भोजन का सेवन किया जाना, त्यौहार पूजा पाठ में सिर्फ पुस्तकीय पाठ किया जाना, वर्तमान में पूनर्वासित क्षेत्र में ब्राह्मणों के प्रति मान्यता के कुछ तुलनात्मक मुद्देअभाव होना है। सामाजिक दबाव के कारण 42.5%, पवित्रता के लिये 25%, समाज में उच्च स्थान पाने हेतु 5%, पूर्वजों के द्वारा माना जाता था 17. 5%, तथा 10%, लोगों का मानना है कि हमे हमारी संस्कृति को बचाये रखना चाहियें, इस कारण वे ब्राह्मणों को मानते है।

8. निष्कर्ष :— शरणार्थियों के जीवन में स्थानीय समुदाय से संपर्क के कारण इस प्रकार के अंतःकरण सामने आये हैं — 1. पूर्व पाकिस्तान/बांग्लादेशी शरणार्थी जो बांग्लादेश में स्थानीय मुस्लिम समुदाय से अंतःकरण नहीं करते थे। वही आज भारत में पुनर्वासित होने पर स्थानीय समुदायों (गोण्ड, कोरकू, गौलियों) से अंतःकरण कर विवाह सम्बन्ध भी बना रहे। 2. बांग्लादेशी शरणार्थियों में विवाह सम्बधो के आधार पर भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार सामंजस्यता हो रही है, जैसे प्रेम विवाह 20%, रिश्तेदारों में विवाह 12.5%, स्थानीय समुदायों में 12.5%। कुल मिलाकर 45%, विवाह ऐसे हो रहे हैं जो बंगाली समाज में वर्जित था। इनके अलावा 30%, ही सामाजिक विवाह जो पूर्व में मान्य थी, बंगाली समाज में प्रचलित हैं।3. पूर्वी पाकिस्तानी/बांग्लादेशी शरणार्थियों के अपने परम्परागत देवी—देवताओं के दर्शनीय स्थान, उपलब्ध न होने के कारण तथा स्थानीय ईष्ट देवताओं, तीर्थस्थान, मान्यताओं एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों को स्थानीय समुदाय से अंतःकरण कर अपना रहे है। 4. अध्ययन क्षेत्र चोपना बंगालियों के कुल 32 ग्रामों में विस्थापित है, जिसमें परम्परागत रूप से अंर्तगौत्र विवाह वर्जित था जो सीमित आबादी तथा सीमित गौत्र होने के कारण, अब लगभग दसक से अंर्तगौत्र विवाह को समाज स्वीकार कर रहा है।

9. सुझाव :—स्थानीय समुदायों की अपेक्षा शरणार्थियों के मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक नियमों में अधिक तेजी से परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए शरणार्थियों को चाहिए कि वह प्रारंभिक शिक्षा में बांग्ला भाषा को प्रारम्भ करे, जिससे मातृभाषा के प्रति आत्मीयता की भावना पैदा होगी। इसके लिए शासन एवं समुदाय दोनो को एकजुट होना होगा। शरणार्थियों में स्थानीय समुदायों के साथ विवाह को भी समाज द्वारा मान्य किया है, इस पर आपसी सामंजस्यता के लिए बंगाली ''समाज सम्मेलन'' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। शरणार्थियों की मूल संस्कृति को बचाने के लिए समय—समय पर सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। शासन को पुनर्वास नीति/कार्ययोजना निर्माण के समय सामाजिक एवं सास्कृतिक पक्ष को महत्व देना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. श्रीनिवास एम.एन. 1989 ''आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल. 2. आजाद सलाम 2005 ''बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक'' राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली पटना 3. नसरीन तसलीमा 2003 ''लज्जा'' बानी प्रकाशन नई दिल्ली 4. श्रीनिवास एम.एन. 1989 ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल. 5. डॉ. मुखर्जी रविन्द्रनाथ ''भारत में सामाजिक परिवर्तन'' विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली 6. शर्मा एस.एन. ''सामाजिक परिवर्तन भारतीय संदर्भ में'' स्वरूप एवं संस प्रोफेसर्स कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ 7. श्रीवास्तव एम.एन. 1988 ''भारत के गांव'' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पटना, पृष्ठ संख्या – 152—168 8. श्रीवास्तव रामानुज लाल ''मानव संस्कृति तथा समाज'' म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठसंख्या—183 9. सोनी सुरेश 2004 ''हमारी सांस्कृतिक विचारधारा के मूलस्त्रोत'' नूतन आफसेट, मुद्रणकेन्द्र, संस्तिक भवन, राजेन्द्र नगर, लखनउ पृष्ठ संख्या —24,25,65,129—132

पत्र—पत्रिकाऐं :—

1. दैनिक जागरण, 23 जनवरी 2004, पृष्ठ संख्या 04 2. कुमार राकेश 2004 ''दक्षिण ऐशिया में शरणार्थियों का समाजशास्त्र'' वर्ष 12 (अंक 12) 2004 डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका 3. प्रमाण पत्र कार्यालय परियोजना अधिकारी, पुर्नवास, विभाग, शाहपुर, जिला बैतूल के माईग्रेट/आय प्रमाण पत्र क्र. क्यू/रिहेब/ एस.सी./1986, शाहपुर, दिनांक 26/10/1988 4. कार्यालयीन पत्र, कृषि सहायक, पुनर्वास विभाग, शाहपुर, दिनांक 21.02.2004 5. एस.एन. शर्मा, उपसचिव, म.प्र. शासन, पुनर्वास विभाग का पत्र दिनांक 06.06.1990. 6. म.प्र. शासन राजस्व (शाखा क्र. 8) विभाग, पत्र क्र. 3—2/सात/शा.—8/81, म.प्र.भू—राजस्व संहिता क्र.20 सन् 1959. 7. www.saarctourism.org